खास खबरें

अस्पताल के सामने से बाइक चोरी

नप्र, भोपालः कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नौबल अस्पताल के सामने खड़ी हीरो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। फरियादी मुजम्मल खान ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात बदमाश उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से हादसा, चालक पर एफआईआर

कमला नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर में तेज और लापरवाही से ऑटो चलाने के कारण सड़क दुर्घटना हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

तेज रफ्तार कार बनी हादसे की वजह, चालक पर केस

भोपाल। एमपी नगर थाना क्षेत्र के कोटरा चौराहा पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क हादसा हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 281 एवं 125-ए बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने रुचि कलारी के पास छापामार कार्रवाई कर शैलेन्द्र राय को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 22 क्वार्टर देशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 2200 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना पड़ा महंगा

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले ब्रजेश के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर पकड़कर धारा 36-बी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की मौत

भोपाल। मिसरोद थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हमीदिया अस्पताल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

भोपाल। कोतवाली थाना पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में लगभग 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर मर्ग कायम किया है। शव को एफआरवी द्वारा अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर मृतक की पहचान और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सड़क हादसे के घायल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

भोपाल। गौतम नगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल 53 वर्षीय सैय्यद शहजाद अली की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद उनका इलाज ग्रीन सिटी अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बिना बताए घर से निकली महिला, गुमशुदगी दर्ज

भोपाल। टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र की वसुंधरा कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय महिला बिना किसी को बताए घर से चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है।

काम में लापरवाही पर निगम आयुक्त सख्त कई अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने बुधवार को अटल भवन में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों एवं निगम कार्यों की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण, सीवेज और यांत्रिक कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई।

उन्होंने खराब प्रदर्शन पर राजस्व विभाग, यांत्रिक एवं सीवेज शाखा के अधिकारियों, जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18 के जोनल अधिकारियों एवं वार्ड प्रभारियों तथा जोन-17 के वार्ड प्रभारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त ने संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट और किराया सहित सभी मदों में राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कर खाते खोलने, बकायादारों के खिलाफ नोटिस जारी कर कुर्की और तालाबंदी जैसी सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्रीमती जैन ने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने, 50 दिन से लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों को तत्काल पीडब्ल्यूडी को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अपर आयुक्तों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, संपत्ति विरूपण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, आउटडोर मीडिया नियमों का पालन कराने तथा विरूपित संपत्तियों की सफाई का खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूलने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने बारिश के मौसम को देखते हुए नालों और नालियों की नियमित सफाई, जलभराव रोकने, मेडिकल वेस्ट और अन्य प्रकार की गंदगी फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने तथा सफाई मित्रों को सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

अधिकार और कर्तव्य के संतुलन से मजबूत होता है लोकतंत्र : तोमर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतंत्र केवल संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है।

उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित यंग इंडियंस पार्लियामेंट-2026 के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने युवाओं से स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ अधिकार और कर्तव्य हैं। संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, वहीं कर्तव्यों का बोध भी कराता है। दोनों का संतुलित पालन होने पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। अधिकारों की मांग के साथ समाज, राष्ट्र और संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। श्री तोमर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और संस्कारित नागरिक तैयार करना भी है। उन्होंने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को कौशल, जीवन मूल्यों और व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की।

96 हजार आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा 1400 करोड़ रुपए का एरियर

हाई कोर्ट ने चार साल के बकाया भुगतान के दिए निर्देश, ब्याज का लाभ नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश की करीब 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के बकाया भुगतान के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 तक के 48 महीने का करीब 1400 करोड़ रुपये का एरियर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अदालत ने एरियर पर छह प्रतिशत ब्याज देने के एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं, ग्रेच्युटी का लाभ बरकरार रखा गया है।

मामले की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि की थी। इसके बाद वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार ने अपना अंशदान कम कर दिया था। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाला मानदेय प्रभावित हुआ। कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 हजार रुपये और सहायिकाओं का सात हजार रुपये के स्थान पर कम हो गया।

इस निर्णय को चुनौती देते हुए आंगनबाड़ी संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मानदेय कटौती को अवैध बताते हुए सरकार को जून 2019 से जून 2023 तक के 48 महीने का एरियर छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश दिया था।

इसके बाद मामले की सुनवाई खंडपीठ में हुई। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अंशदान बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार का अपना हिस्सा कम करना उचित नहीं था। इससे आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलने वाला वास्तविक लाभ कम हुआ।

खंडपीठ ने कहा कि मूल याचिका में ब्याज की मांग का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था, इसलिए छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश हटाया जाता है। हालांकि, चार साल के बकाया भुगतान और ग्रेच्युटी लाभ से संबंधित आदेश को बरकरार रखा गया।

हाई कोर्ट के फैसले से प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को करीब 1400 करोड़ रुपये का भुगतान मिलेगा। ब्याज नहीं देने के निर्णय से राज्य सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। यदि ब्याज सहित भुगतान किया जाता तो सरकार पर करीब 1700 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आता।

हितेश नागदेव बने भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए आईटी विभाग, संभागीय कार्यालय मंत्री और विभिन्न मोर्चों में नई नियुक्तियां की हैं। उज्जैन के हितेश नागदेव को भाजपा आईटी विभाग का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं, भोपाल के गिरजेश तिवारी को संगठनात्मक डेटा प्रबंधन एवं तकनीकी नवाचार का सह संयोजक नियुक्त किया गया है।

भाजपा ने ग्वालियर संभाग में कोमल पचेया, रीवा संभाग में वीरेश पांडेय और जबलपुर संभाग में राजेश मिश्रा को कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी है।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मऊगंज से आनंद साहू, श्योपुर से श्रीधर गुर्जर, सिवनी से रविशंकर पाल और इंदौर नगर से निखिल सोनी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा में रीवा जिले की जिम्मेदारी सीएल रावत और डिंडोरी की जिम्मेदारी संदीप टेकाम को सौंपी गई है।

विहिप-बजरंगदल ने लगाए स्वास्थ्य शिविर

600 से अधिक लोगों को मिला लाभ

भोपाल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल भोपाल विभाग के जिला वीर सावरकर के अंतर्गत सेवा सप्ताह के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। भगत सिंह प्रखंड और शंकराचार्य प्रखंड में आयोजित शिविरों में 600 से अधिक जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।

शिविरों में बीपी, शुगर, आंखों, दांतों सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गईं। जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे और दवाइयां भी वितरित की गईं।

कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर बजरंगदल भोपाल विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत, विहिप जिला सह मंत्री राजेंद्र नामदेव, विजेंद्र सिंह परिहार, अभिषेक शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

पेट्रोल पंप के सामने लगे बैनर में तोड़फोड़

नप्र, भोपालः पिपलानी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने लगे बैनर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ धारा 324(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस घटना के कारणों और आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है।

किशोर से मारपीट और धमकी : गौतम नगर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अहमद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छह लाख रुपये दहेज की मांग : गौतम नगर थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पति रहमान अली सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 85, 3(5) बीएनएस तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बीएमए छात्र अध्याय का शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन (बीएमए) के छात्र अध्याय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बीएमए के अध्यक्ष राजेश तिवारी, निदेशक डॉ. शिखा भार्गव, ओरिएंटल ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण ठकराल, संकाय सदस्य, छात्र-छात्राएं तथा बीएमए के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राजेश तिवारी ने विद्यार्थियों से रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी बनने का आह्वान किया। आर. लता ने 'नेतृत्व विकास एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए योग' विषय पर प्रेरक व्याख्यान दिया। समापन सत्र में शंकर कृष्णन ने प्रभावी संचार, निर्णय क्षमता, सतत सीखने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सफल नेतृत्व की आधारशिला बताया।

प्रवीण ठकराल ने छात्र अध्याय की शुरुआत पर प्रबंधन विभाग और बीएमए को शुभकामनाएं दीं। यह छात्र अध्याय विद्यार्थियों को उद्योग विशेषज्ञों से संवाद, कार्यशालाओं, औद्योगिक भ्रमण और प्रबंधन गतिविधियों से जोड़कर उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। कार्यक्रम का समापन डॉ. शिखा भार्गव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कालिदास की जीवनी पर आधारित मराठी नाटिका का मंचन

भोपाल। श्री दत्त मंदिर सभागार में बुधवार शाम स्त्री सखी मंडल और रंग मोहिनी नाट्य संस्था के संयुक्त तत्वावधान में महान कवि कालिदास के जीवन पर आधारित मराठी लघु नाटिका 'सरस्वतीचा वरद पुत्र' का मंचन किया गया। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक ज्योति सावरीकर के लेखन और निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटिका की विशेषता रही कि सभी पात्रों की भूमिका महिलाओं ने निभाई।

नाटिका में कालिदास के जीवन के उस प्रसंग को दर्शाया गया, जिसमें राजकुमारी विद्योत्तमा के स्वयंवर में विद्वानों के षड्यंत्र के कारण उनका विवाह एक मंदबुद्धि व्यक्ति काली से हो जाता है। विवाह के बाद सच्चाई सामने आने पर विद्योत्तमा उसे अपमानित कर महल छोड़ने को कहती हैं।

इससे आहत काली ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर साधना करता है और मां काली की कृपा से विद्वान बनकर महान कवि कालिदास के रूप में प्रसिद्ध होता है। नाटिका में बताया गया कि वर्षों बाद कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी काव्य प्रतिभा व संस्कृत ज्ञान से सभी को प्रभावित कर नौ रत्नों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्योत्तमा को भी अपनी भूल का अहसास होता है और दोनों का पुनर्मिलन होता है। लगभग 35 मिनट की इस प्रस्तुति में कालिदास की भूमिका शुभदा केतकर, विद्योत्तमा की भूमिका स्वाती पागनीस और राजा विक्रमादित्य की भूमिका रोहिणी शिंगवेकर ने निभाई।

अन्य कलाकारों ने भी प्रभावी अभिनय किया। सूत्रधार के रूप में शोभा भिसे ने कथा को आगे बढ़ाया। ध्वनि प्रभाव सपना अलकरी और गायन ज्योति सावरीकर का रहा। दर्शकों ने नाटिका की सराहना करते हुए कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की।

आरजीपीवी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी बदली

नप्र, भोपालः राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया। जून-जुलाई 2026 की परीक्षाओं के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक प्रो.अर्चना तिवारी को हटाकर प्रो. संजीव शर्मा को फिर से यह जिम्मेदारी सौंप दी है।

प्रो. अर्चना तिवारी को परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। उनके कार्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी परीक्षा कार्यों से अलग कर दिया गया है।

बायोटेक्नोलॉजी स्कूल की निदेशक पद से भी हटाई: विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रो. अर्चना तिवारी को स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रभारी निदेशक पद से भी मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर डॉ.जितेंद्र अग्रवाल को आगामी आदेश तक प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रो. तिवारी को डायरेक्टर, आईक्यूएसी सहित सभी अतिरिक्त दायित्वों से भी मुक्त कर दिया गया है।

प्रो. संजीव शर्मा को मिली परीक्षा की कमानः विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से प्रो. संजीव शर्मा को पुनः परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, ताकि जून-जुलाई सत्र की परीक्षाओं के संचालन में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए। विभागीय जांच के संकेत,आदेश की प्रतिलिपि में एक महत्वपूर्ण निर्देश भी शामिल है। उपकुलसचिव (स्थापना) को प्रो. अर्चना तिवारी के विरुद्ध,विभागीय जांच संस्थित करने, जांच अधिकारी नियुक्त करने तथा आरोप पत्र जारी करने के लिए अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति ने प्रथम दृष्टया पाया है कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने, परीक्षा संचालन में अपेक्षित प्रशासनिक नियंत्रण, सुरक्षा उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया।

नाम परिवर्तन

मैं दीपक सिंह आत्मज श्री विजय बहादुर सिंह आयु वयस्क निवासी एल 8 फैस-2 शिव नगर कालोनी भानपुर विदिशा रोड तहसील हजुर जिला भोपाल (म.प्र.) आधार क्रमांक 6614 4033 2408 शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मेरी 10वी एवं 12वी की अंकसूची में मेरा नाम दीपक कुमार सिंह अंकित है। वास्तव में दीपक सिंह एवं दीपक कुमार सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, अर्थात् मैं स्वयं। अतः भविष्य में मेरे नाम को दीपक सिंह आत्मज श्री विजय बहादुर सिंह के रूप में ही पढ़ा व लिखा जाए तथा मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों/रिकॉर्ड में मेरा नाम दीपक सिंह ही अंकित किया जाए।

868

आम सूचना

ग्राम आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर की भूमि खसरा 446/165/2 (S), में से रकबा 0.202 हेक्टेयर के सम्बन्ध में।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री धन सिंह मरावी आत्मज स्व. श्री धरमू सिंह मरावी, निवासी- 154, डी-सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) ने श्री संताराम पुत्र श्री रामकिशन, बसंतीबाई पुत्री रामकिशन, संतोबाई पुत्री रामकिशन एवं श्री सीताराम पुत्र रामकिशन, सभी की जाति गौड़, निवासी एवं कृषक ग्राम आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) के सह-स्वामित्व, स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक-446/165/2 (S) (पूर्व खसरा नं. 446/260) में से केवल रकबा 0.202 हेक्टेयर, ग्राम आबिदाबाद, पटवारी हल्का-आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, जिसे क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने विक्रेता को अग्रिम टोकन राशि का भुगतान कर दिया है। यदि उक्त वर्णित सम्पत्ति किसी भी शासकीय, अशासकीय, अर्द्ध-शासकीय विभाग, व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्थान के पास बंधक हो अथवा अन्य किसी प्रकार से विक्रय अनुबन्ध, भार, वारिसाना या उत्तराधिकार या कोई स्वत्व सम्बन्धी आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में सप्रमाण उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि उपरांत मेरे पक्षकार उक्त वर्णित सम्पत्ति का अपने पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होंगे और कालावधि समाप्त होने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारी नहीं होगी।

भवदीय **अंकिता द्विवेदी** (एडवोकेट)
द्विवेदी लॉ चेम्बर
कार्यालय :- 220,213, बी.डी.ए.काम्पलेक्स, 7 नं. स्टाप, शिवाजी नगर भोपाल. मो.नं.9425968337, 9755907796

867

जाहिर-सूचना

मकान नं. 67, जिसका क्षेत्रफल 144.87 वर्गमीटर है जो कि बी.डी.ए.कालोनी, कोहेफिजा भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. के संबंध मे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री संतोष कुमार एवं रवीकुमार पुत्रगण श्री के.एस. पांडेय के स्वत्व, स्वामित्व/आधिपत्य का मकान नं. 67, जिसका क्षेत्रफल 144.87 वर्गमीटर है जो कि बी.डी.ए.कालोनी, कोहेफिजा भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. मे स्थित है उक्त संपत्ति पर मेरे पक्षकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक भोपाल से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त संपत्ति की प्रथम लीज डीड जो कि बी.डी.ए ने श्री ब्रजेन्द शरण चक्रधर के पक्ष मे निष्पादित की गई थी जिसके पंजीयन का इंद्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल मे दस्तावेज क्रमांक 5572, दिनांक 29.01.1982 मे दर्ज है एवं तदोपरांत श्री ब्रजेन्द शरण चक्रधर ने उपरोक्त संपत्ति को श्री पवन कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद को पंजीयत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की है जिसके पंजीयन का इंद्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल मे ग्रंथ क्रमांक 3071, दस्तावेज क्रमांक 6721, दिनांक 24.03.1982 मे दर्ज है तदोपरांत श्री पवन कुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद ने माया जायसवाल पत्नि हनुमान प्रसाद को पंजीयत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की है जिसके पंजीयन का इंद्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल मे ग्रंथ क्रमांक 3537, दस्तावेज क्रमांक 501, दिनांक 28.04.1983 मे दर्ज है तदोपरांत माया जायसवाल पत्नि हनुमान प्रसाद ने उपरोक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार को विक्रय किया है जिसके पंजीयन का इंद्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल मे दर्ज है एवं उक्त संपत्ति की मूल लीज दिनांक 29.01.1982 एवं मूल विक्रय पत्र दिनांक 24.03.1982 कही गुम हो गई है एवं मूल विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1983 का अंतिम प्रष्ट जिस पर ग्रंथ क्रमांक, दस्तावेज क्रमांक, पंजीयन दिनांक होता है वह भी गुम हो गया है तथा काफी प्रयास करने के उपरांत भी नही मिल पा रहे है उक्त संपत्ति की मूल प्रति दिनांक 29.01.1982 व विक्रय पत्र दिनांक 24.03.1982 एवं मूल विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1983 का अंतिम प्रष्ट, जिस किसी को मिले वह मेरे कार्यालय मे उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करें एवं उक्त संपत्ति के संबंध मे किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय मे मय दस्तावेजो के आपत्ति प्रस्तुत करे। एवं उपरोक्त गुम दस्तावेज का कोई भी दुरूपयोग ना करें। निर्धारित समय वीतने के उपरांत कोई भी दावा आपत्ति स्वीकार नही किये जायेंगें।

भवदीय **रोहित यादव** (एडवोकेट)
कार्या 502 लॉयर्स चैंबर
अरेरा हिल्स भोपाल
मो.9993020804

866

आम सूचना

मेरे पक्षकार **एक्सीस बैंक लिमिटेड**, शाखा आई.सी.आई.सी.आई बैंक के पास, प्लॉट नं. जेड-13, द्वितीय तल, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि स्वाती गुप्ता पत्नि सुनिल कुमार गुप्ता एवं सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र रामाधर गुप्ता, पार्टनर मेसर्स जालाराम मेडिकल स्टोर ने संपत्ति जो कि दुकान, प्रथम तल, टी.आर. ट्रस्ट परमानन्द धर्मशाला, बाल विहार, मेडिसिन गली, हमीदिया रोड, वार्ड नं. 19, तह. हुजुर, जिला भोपाल में स्थित है, को मेरे पक्षकार के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। यह कि उक्त संपत्ति उन्होंने जितेन्द्र जयसिंघानी से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की है, जो कि उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल-। में ई-पंजीयन क्र.- MP43IGR16022025A100367112, दिनांक 26.05.25 पर पंजीकृत है, उक्त संपत्ति का नाप 102.64 वर्गमीटर एवं चर्तुसीमायें पूरब में-अरूण गुप्ता का गोडाउन, पश्चिम में-फारूख आलम की मकान, उत्तर में-अन्य गोडाउन एवं बाल विहार गली व दक्षिण में-अन्य सम्पत्ति है। यह कि उक्त संपत्ति श्रीमती लाजवंती एवं अशोक कुमार ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी जो कि उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक अ-1, ग्रंथ क्र. 16952, दस्तावेज क्र. 198 दिनांक 22.05.01 पर पंजीकृत है। तत्पश्चात श्रीमती लाजवंती एवं अशोक कुमार ने उक्त सम्पत्ति के संबंध में अपने 1/2-1/2 हिस्से की वसीयत अपने पुत्र जितेन्द्र जयसिंघानी के नाम की थी जो उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल-1 में दिनांक 01.08.2016 एवं 01.08.2016 पर क्रमशः पंजीकृत है। श्रीमती लाजवंती एवं अशोक कुमार की मृत्यु उपरांत उक्त वसीयत के आधार पर जितेन्द्र जयसिंघानी उक्त सम्पत्ति के मालिक व स्वामी हुए एवं नगर निगम भोपाल में सम्पत्ति आई.डी. क्र. 1000070577 जारी हुआ। यदि उक्त सम्पति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दान, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो, वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के **07 दिवस** के अंदर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर देंगे तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा।

भवदीय-**दीपक शर्मा** (एडवोकेट)
कार्या.-ई-5/13-सी,अरेरा कालोनी,भोपाल
मोबाइल-9993001229

865

कार्यालय राजस्व-निरीक्षक वृत्त 04 बावडिया कलां तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

क्रं./रा.नि./2026 भोपाल, दिनांक 08/07/2026
ग्राम नाम बावडिया कलां

सूचना-पत्र

प्रति, 1. श्री मनीष जैन आ. श्री राजेन्द्र जैन, एवं नीति जैन पत्नी मनीष जैन नि. अरेरा कालोनी 2.श्री हरीश पस्तारिया निवासी वृंदावन गार्डन के पास भोपाल 3. श्री संजय मोदी निवासी बावडिया कलां भोपाल 4. श्रीमती मधु जैन पत्नी स्व. श्री कमल कुमार जैन नि. भोपाल 5. श्रीमती कल्पना जैन पिता श्री शीतलाप्रसाद एवं अन्य निवासी भोपाल 6. श्रीमती आशा डागा पत्नी श्री विजय कुमार डागा व अन्य नि. भोपाल 7. सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण। **विषय**:-बटान किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील-कोलार, जिला-भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक/अ-3/2025-26 में आवेदक श्री मनीष जैन पिता श्री राजेन्द्र जैन एवं श्रीमती नीति जैन पत्नी मनीष जैन निवासी अरेरा कालोनी भोपाल। निवासी ग्राम बावडिया कलां प.ह.नं.-18 रा.नि. मं-4, बावडिया कलां तहसील-कोलार जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 435/2/1/2 रकबा 0.1460 हे., कुल रकबा 0.1460 हे. हेक्टयर का राजस्व-अभिलेख नक्शे में बटांन दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय के आदेश पालन में राजस्व अभिलेख नक्शे में बटांन दर्ज करने की कार्यवाही का स्थल का सीमांकन कर नक्श बटांन,पंचनामा, सूचना-पत्र के साथ जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 15/07/2026 को समय प्रातः 2:00 बजे की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया। सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर करे।

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार जिला भोपाल

864

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम कमलेश कुमार जैन था अब परिवर्तित होकर मेरा नाम कमलेश जैन (आत्मज श्री आनंदीलाल जैन 15/2 गिरधर नगर न्यू महेश नगर इंदौर) हो गया है अब भविष्य में मुझे सभी दस्तावेजों में कमलेश जैन नाम से जाना पहचाना जावे

869

नाम परिवर्तन सूचना

मैं पंकज कुमार दरगड पिता श्री घनश्याम दास निवासी मकान न. MIG 3/23 सुखसागर फेस-2 हज़रत निजामुद्दीन कालोनी के पास नरेला शंकरी भेल भोपाल मेरा आधार नंबर 7819 4674 1734 है। जो कि मेरी दोनों पुत्री आहना दरगड एवं पुष्टी दरगड के स्कूल रिकॉर्ड में मेरा नाम पंकज दरगड गलत अंकित हो गया है जो कि गलत है ।जो कि मेरा सही नाम पंकज कुमार दरगड सत्य एवं सही है।

863

पीठासीन अधिकारी- अर्जित दुबे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.
आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु
प्रकरण कमांक एमजेसी सक्सेसन 3/2020
सरिता उर्फ सविता बाई व अन्य विरुद्व विजय सिंह आदि

जावक क्रं./2026 दिनांक 30.06.2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण यह कि आवेदिका सरिता उर्फ सविता बाई आदि ने आपके विरूद्व आवेदन वास्ते धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हेतु आवेदन संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस की भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है कि आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन आपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन वे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें जिन पर आपको प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपने प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपके सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो आवेदन की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। गया है। यह आज तारीख 30/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक-17.08.2026 नियत है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

अर्जित दुबे,न्यायाधीश
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
बैरसिया जिला-भोपाल (म.प्र.)

AG

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकारक गण (1) श्री-उमेश कुमार देशमुख (2) श्री मनीष स्वामी (3) श्री कपिल नामदेव एवं श्री प्रमोद शर्मा द्वारा भुखण्ड क्रं. 2, कुल एरिया 960 वर्गफिट एवं भूखण्ड क्रं.-कुल 3, कुल एरिया 920 वर्गफिट कुल टोटल एरिया- 1880 वर्गफिट, जो कि खसरा क्रं. 79/2 (S) का अंशभाग है, जो कि ग्राम-खजूरीकलां,तह. हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) वार्ड क्रं.-61 पर स्थित है, जो कि खसरा क्रं. 79/2 (S) कुल रकबा 1.1420 हेक्टेयर भूमि अर्थात 15284 वर्गफिट का अंशभाग है। इस संपत्ति को क्रय करने हेतु मेरे पक्षकारगण द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक-7/07/2026 को निष्पादित किया गया है। यह कि उक्त भूखण्ड क्रय करने हेतु बयाना राशि प्रदान की जा चुकि है। उक्त संपत्ति का पंजीयन सब. रजि. कार्यालय में मेरे पक्षकारगण विक्रेतागण द्वारा करवाकर पंजीयन प्रक्रिया पुर्ण करवा ली जावेगी। अतः उक्त संपत्ति या भुखण्ड का अन्य किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थान, शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय व अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हित हो, या उक्त संपत्ति कहीं भी दान गिरबी, या बंधक रखी हो, तो, या अन्य किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी आपत्ति हो तो आगामी सात- दिवस के अन्दर मय-दस्तावेज मेरे कार्यालय या मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सुचित करें। उक्त समयावधि पश्चात आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

862